



Ref. No. WCL/PKD/ AGM/ SO (P&P) /2016/475

Date: 15/11/2016

प्रति,

सहायक वन संरक्षक(भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल
भोपाल

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रकरणों के संबंध में - Tawa - UG Mine (107.816 Ha.) WCL Pathakhera Area

संदर्भ :- क्रमांक एफ-1/FP/MP/MIN/20921/2016/2396 भोपाल, दिनांक: 07/11/2016

महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार Tawa - UG Mine, 107.816 हे. भूमि के तारतम्य में पाई गयी कमियां/कृटिया की पूर्ति कर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.	पाई गयी कमियां/कृटिया	आवश्यक संशोधन
1	अनु.क. B-2.4 में Activity wise breakup नहीं दिया गया है, जैसे वन क्षेत्र में खनिज डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशॉप अन्य संरचनाओं के निर्माण का breakup नहीं दिया गया है। यदि उक्त कार्य गैर वन भूमि में प्रस्तावित है तो उसका breakup दिया जाना चाहिए।	107.816 हे. वन भूमि का एक ही Activity है- भूमिगत खनन (underground mining) है तथा यह प्रस्ताव वन भूमि का नियमितकरण का भी है। 107.816 हे. वन भूमि, तथा खदान का केवल एक भाग मात्र है। तथा भूमिगत खदान का भूमि का विवरण इस प्रकार है :- कुल लीज होल्ड = 493 728 हे. गैर वन भूमि = 46 492 हे. वन भूमि = 447 236 हे. स्वीकृति प्राप्त वन भूमि, भूमिगत खनन हेतु = 339 420 हे(6MPC/05-BHO/2856) खनिज परिवहन हेतु स्वीकृति प्राप्त वन भूमि = 2 275 हे(8B/38/97/FCW/391) तथा गैर वन भूमि 46 492 हे में खनिज डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशॉप अन्य संरचनाओं के निर्माण किया गया है।
2	अनु.क. G-(i) में Cost-Benefit analysis में No लेख है, जबकि आवेदित वन क्षेत्र रकबा 107.816 हे. है। भारत सरकार द्वारा 20.00 हे. से अधिक के व्यपवर्तन के प्रकरणों में निर्धारित किये गये पत्र में Cost-Benefit analysis दिया जाना आवश्यक है।	Cost-Benefit analysis संलग्न कर दिया गया है।
3	अनु.क. H-(i) (a) में पर्यावरणीय स्वीकृति के पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गई है। भारत सरकार का अधिसूचन मेंमोरडम पत्र दिनांक 4.2.1994 संलग्न है, जो रकबा 13. 118 हे. के लिये है।	13.118 हे. की सीमा, पर्यावरणीय स्वीकृति में केवल उपरी तल अधिकार हेतु दिया गया है। तथा खदान हेतु केवल 2.275 हे0 उपरीतल हेतु वनभूमि का उपयोग किया गया।
4	अनु.क. K-(i) में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिलाध्यक्ष का प्रमाण पत्र सहपत्रों सहित संलग्न किया जाना आवश्यक है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA 2006) का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी बैतूल को आवेदीत है एवं प्रकियाधिन है। (आवेदन संलग्न किया गया है)
5	अनु.क. L-(i) & (ii) में Not Applicable लेख किया गया है। CA की जानकारी नहीं दी गई है। यदि वन भूमि का उपरीतल का उपयोग प्रस्तावित है तो CA की	प्रस्तुत प्रस्ताव भूमिगत खनन का है CA का आवश्यकता नहीं है।

6	अनु.क. M-2 (iii) में Approval Mining Plan copy not attached	Approval Mining Plan copy संलग्न किया गया है
7	अनु.क. M-2 (iv) में Approval Mining Plan copy not attached	Approval Mining Plan copy संलग्न किया गया है
8	अनु.क. M-2 (v)(a) में 3D subsidence analysis report संलग्न नहीं किया है No Data लेख है।	3D subsidence analysis report संलग्न किया है
9	अनु.क. M-2 (vi) में संलग्न मानचित्र 1:4000 स्केल का जीपीएस रिडिंग का मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है। जियो रिफरेंस मैप 1:15000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	जियो रिफरेंस मैप संलग्न है।

यह जानकारी आपकी ओर उचित कार्यवही हेतु प्रेषित।

भवदिय,



मदन कुमार

एरिया प्लानिंग ऑफिसर,
एरिया जनरल मैनेजर, पाथाखेडा,
Area Planning Officer
Pathakheda, Area W.C.